फर्द अहकाम

दुलीचन्द बनाम पप्पू

...यालय

...ख्या 86/2018

...	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	10/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। पत्रावली वास्ते साक्ष्य सामग्री दिनांक 31/7/2024 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	31/7/24	पत्रावली पेश हुई। वकील वादी उप[illegible] वकील वादी ने वर्तमान खसरा गिरदावरी पेश करने वास्ते पेशी चाही। स्वीकार। गिरदावरी हेतु 21/8/24 को पेश हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सांगानेर)	
	21/8/24	पत्रावली पेश हुई। वकील उभयपक्ष उपस्थित। बहस [illegible] वकील वादी बहस [illegible] वकील वादी व पत्रावली [illegible] बहस वकील वादी व पत्रावली का अवलोकन [illegible] दस्तावेजात अवलोकन करने पर [illegible] वादी का वाद डिक्री किया जाता है [illegible] लिखित निर्णय [illegible] किया गया। पत्रावली शामिल पत्रावली किया गया [illegible] फैसला [illegible] बाद तामील दाखिल दफ्तर हो। [signature] उपखण्ड अधिकारी जयपुर द्वितीय (सां...)	

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:45 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जयपुर–द्वितीय(सांगानेर)जयपुर

पीठासीन अधिकारी का नाम : हिम्मत सिंह, आर.ए.एस.
वाद पत्र : 86/2018
निर्णय दिनांक : 21.08.2024

1. दुलीचन्द पुत्र लालाराम
2. रामेश्वर पुत्र नरसीलाल

समस्त जाति ब्राह्मण निवासीगण ग्राम मनोरिया वाला तहसील सांगानेर जिला जयपुर।

.......वादीगण

बनाम

1. पप्पूलाल पुत्र मूलचन्द जाति ब्राह्मण निवासी ग्राम मनोरियावाला तह0 सांगानेर जिला जयपुर।

.... प्रतिवादीगण

दावा बाबत स्थायी निषेधाज्ञा अंतर्गत धारा 188, 92–क आर0टी0एक्ट0

निर्णय

वादी की ओर से पेश वाद का विवरण इस प्रकार है कि वादीगण की अन्य खातेदारी की भूमियों के अलावा खातेदारी एवं कब्जेकाश्त तथा उपयोग उपभोग की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0700 हैक्टेयर व खसरा नम्बर 189 रकबा 0.0200 हैक्टेयर ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित है। वादीगण वादग्रस्त कृषि भूमि खसरा नम्बर 188 में कच्चे पक्के आवासीय मकान बनाकर निवास कर रहे है तथा मवेशियो को रखते है तथा मवेशियो के लिये चारा इत्यादि रखने के लिए टिनशेड के घर बनाकर बिना किसी बाधा व हस्तक्षेप के निरन्तर उपयोग–उपभोग करते चले आ रहे है। वादीगण की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त तथा उपयोग–उपभोग की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 के पूर्वी दिशा की ओर सीमाजोड भूमि खसरा नम्बर 173 ग्राम मनोरियावाला की आबादी भूमि है। वादीगण के कब्जेकाश्त तथा उपयोग–उपभोग व खातेदारी की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 ग्राम की आबादी भूमि खसरा नम्बर 173 के लगया होने से प्रतिवादी बदनियती से वादीगण की उक्त वादग्रस्त भूमि पर जबरिया कब्जा कर बेदखल करना चाहता है। दिनांक 27.05.2018 को प्रतिवादी एवं उसके परिवारजन एक राय होकर वादीगण की वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 पर जबरिया कब्जा कर वादीगण को बेदखल करने के उद्देश्य से आने पर वादीगण के द्वारा विरोध करने पर वापस चले गये तथा जाते–जाते एलानिया धमकी दे गये कि जल्द से जल्द दल–बल सहित वादग्रस्त भूमि पर आकर तुम्हे जबरिया कब्जा कर बेदखल करेगे। वादीगण अधिकारी है कि वह माननीय न्यायालय से प्रतिवादी व उसके परिवारजन को अविलम्ब स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द करावे कि वे वादीगण की वादग्रस्त भूमि में वादीगण [illegible] उपयोग–उपभोग में किसी भी प्रकार से अनुचित हस्तक्षेप नहीं करे और जबरिया [illegible] कर बेदखल नहीं करे। वादीगण को वादकारण दिनांक 27.05.2018 [illegible] हस्तक्षेप करने की एलानिया धमकी देने से उत्पन्न हुआ [illegible] है। वादग्रस्त भूमि ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर मे स्थित ह[illegible] से माननीय न्यायालय को वाद की सुनवाई व निर्णीत करने का क्षेत्राधिकार है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

वाद वादकारण उत्पन्न होने से अन्दर मियाद प्रस्तुत है। अतः साथ मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि :–

वाद वादीगण विरूद्ध प्रतिवादी डिक्री किया जाकर प्रतिवादी को स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0 700 हैक्टेयर ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर जिला जयपुर में वादीगण के काश्तकारी तथा आसान उपभोग में किसी प्रकार का अनुचित हस्तक्षेप नहीं करे और जबरिया किसी भी प्रकार से कब्जा कर वादग्रस्त भूमि से बेदखल नहीं करे। उक्त कार्य अपने उत्तराधिकारी, एजेन्ट, सर्वेन्ट, मजदूर इत्यादि से भी नहीं करवावे।

वादीगण की ओर से पेश वाद दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को रजिस्टर नोटिस जारी किये गये। उभयपक्षकारान उपस्थित।

पत्रावली में बहस उभयपक्षकारान अधिवक्ता की सुनी गई। दौराने बहस वादी अधिवक्ता वाद में अंकित तथ्यों को दौहराया। प्रतिवादी ने बहस में अपनी ओर से पेश जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया एवं वाद का वाद खारिज करने का निवेदन किया।

बहस उपस्थित अधिवक्तागण पर मनन किया गया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात का अवलोकन करने पर वादी की ओर से पेश वाद स्वीकार किया गया। वादी सीमाज्ञान का प्रार्थना पत्र तहसीलदार के समक्ष प्रस्तुत करे। तहसीलदार सांगानेर को आदेश दिये जाते है कि वादी का सीमाज्ञान प्रार्थना पत्र लेवे और यदि उक्त वादीगण की भूमि पर कृषि कार्य हो रहा हो तो निर्णय दिनांक के एक महीने के भीतर वादी की ग्राम मनोरियावाला, तहसील सांगानेर, जिला जयपुर में स्थित भूमि वादग्रस्त भूमि खसरा नम्बर 188 रकबा 0.0700 हैक्टेयर का उभयपक्षकारान की उपस्थिति में सीमाज्ञान कर सीमाचिन्ह करना सुनिश्चित करे। सीमा चिन्हित के बाद प्रतिवादी वादी की जमीन मे दखल नही देने बाबत् पाबन्द किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 21.08.2024 को सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
जयपुर द्वितीय (सांगानेर)

(हिम्मत सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं उपखण्ड मजिस्ट्रेट
जयपुर–द्वितीय, (सांगानेर)
.जयपुर

Signature Not Verified

Digitally signed by Himmat Singh
Date: 2025.02.10 13:38:45 IST
Reason: SelfAttested